

१५७६

**बिहार सरकार**  
**पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग**

**संकल्प**

संचिका संख्या— पि०व०/पो०मै०छा०-३६-०२/२०२०- ६४३      दिनांक— २३/०३/२०२३

**विषय :-** वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023” के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने तथा विभागीय संकल्प संख्या-1385 दिनांक-25.08.2021 द्वारा स्वीकृत “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना” को वित्तीय वर्ष 2022-23 से विलोपित किये जाने की स्वीकृति।

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर देश के अंदर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य स्कीम एवं केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। वर्तमान में विभागीय संकल्प संख्या-1295 दिनांक-16.08.2021 के आलोक में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के अनुसार विभागीय संकल्प संख्या-590 दिनांक-27.03.2017 एवं 844 दिनांक-11.04.2018 द्वारा निर्धारित मापदंड के आधार पर निर्धारित दर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।

2. विभागीय संकल्प संख्या-2565 दिनांक-21.12.2017 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना (नवीकरण/नवीन) का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से की जा रही है।

3. विभागीय संकल्प संख्या-1385 दिनांक-25.08.2021 द्वारा केन्द्र प्रायोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना से अनाच्छादित रु० 2,50,000/- से अधिक एवं रु० 3,00,000/- मात्र तक की वार्षिक आय अधिसीमा के तहत अर्हता रखने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 से “मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना” की स्वीकृति एवं योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4.(i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-BC-12013/10/2020-BC-I दिनांक-05.05.2022 के द्वारा PM Young Achievers Scholarship Award Scheme for Vibrant India (PM YASASVI) for OBC & Others से संबंधित नयी मार्गदर्शिका के अनुसार PM YASASVI योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनानात्तर्गत PM YASASVI योजना के तहत ग्रुप-1 के अन्तर्गत आने वाले व्यवसायिक कोर्सों के लिए भी अधिकतम वार्षिक शिक्षण शुल्क मात्र रु० 10,000/- का प्रावधान किया गया है, जबकि पूर्व से संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत सभी पाठ्यक्रमों विशेषकर व्यवसायिक कोर्स के लिए पूर्ण शिक्षण शुल्क अधिकतम रु० 90,000/- प्रतिवर्ष की दर से एवं अनुरक्षण भत्ता प्रावधानित है।

(ii) वर्तमान में संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना शत-प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित हैं जबकि PM YASASVI योजना के तहत केन्द्र एवं राज्य के बीच Fund Sharing Pattern 60:40 किया गया है।

१३/०३/२०२२

595  
 5. अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं विशेषकर तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों/कोर्सों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को वित्तीय सहायता तथा समान अवसर प्रदान करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना है, जिससे वे अपने शिक्षा पूर्ण करने में समर्थ हो सकें।

6. अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :-

(i). वित्तीय वर्ष 2022-23 से राज्य के अन्दर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पूर्ववर्ती केन्द्र प्राधोजित अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के स्थान पर राज्य योजना के तहत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023" के संचालन एवं दिशा-निर्देश तथा योजना का संचालन शिक्षा विभाग के माध्यम से कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii). विभागीय संकल्प संख्या-1385 दिनांक-25.08.2021 द्वारा स्वीकृत "मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" को वित्तीय वर्ष 2022-23 से विलोपित किया जाता है।

7. योजना के कार्यक्षेत्र, विवरणी एवं दिशा निर्देश :-

#### I. कार्यक्षेत्र-

योजना अंतर्गत ये छात्रवृत्तियाँ बिहार राज्य के स्थायी निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए केवल राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययन करने के लिए उपलब्ध होगी।

राज्य के बाहर अवस्थित केन्द्रीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राएँ बिहार रट्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

#### II. पात्रता की शर्तें-

(क) बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिये।

(ख) पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत होना चाहिए।

(ग) पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्रा जिनका स्वयं की आय सहित माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु0 3,00,000/- (रु0 तीन लाख) मात्र रूपए से अधिक नहीं हो, इस स्कीम के तहत छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

नोट-1 जब तक माता-पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेरोजगार छात्रा के मामले में पति) जीवित है, केवल माता-पिता/पति (जैसे भी स्थिति हो) की सभी स्रोतों से प्राप्त आय को ही माना जाएगा न कि अन्य सदस्यों की आय को चाहे वे कमाने वाले ही क्यों न हों। आय घोषणा प्रपत्र में इसी आधार पर आय की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस परिस्थिति में जबकि माता-पिता दोनों अथवा विवाहित किन्तु बेरोजगार छात्रा की स्थिति में पति की मृत्यु हो जाती है तो उस अभिभावक की आय को लेना होगा जो विद्यार्थी के अध्ययन में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आय सीमा में आ जाती है तो ऐसी मृत्यु होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति के पात्र बन जाएंगे बशर्ते की वे पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करते हों। ऐसे छात्र/छात्राओं से छात्रवृत्तियों हेतु आवेदन पर अनुकम्पा के आधार पर, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख समाप्त होने के बाद भी विचार किए जा सकते हैं।

नोट-2: विद्यार्थी के माता-पिता द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मकान किराए भत्ते को "आय" में शामिल नहीं किया जाएगा यदि इसे आयकर के प्रयोजनार्थ छूट की अनुमति दी गई हो।

नोट-3: आय प्रमाण पत्र केवल एक बार लिए जाने की आवश्यकता है अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रम में दाखिला के समय।

(घ) ये छात्रवृत्तियाँ मान्यता प्राप्त संस्थाओं में विधिवत् मान्यता प्राप्त प्रवेशिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए दी जाएंगी।

(ङ) केवल वे ही छात्र/छात्रा जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की प्रवेशिकोत्तर परीक्षा या कोई उच्चतर परीक्षा पास कर ली हो, इसके पात्र होंगे।

(च) ऐसे उम्मीदवार जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगें, उदाहरणार्थ— इन्टर आर्ट्स करने के बाद इन्टर साइंस करने लगे या बी0ए0 के बाद बी कॉम करने लगे या एक विषय में एम0ए0 करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम0ए0 करने लगे, इसके पात्र नहीं होंगे।

(छ) ऐसे छात्र/छात्रा जो किसी एक व्यवसायिक क्षेत्र में शैक्षणिक योग्यता पूर्ण कर लिए हैं, जैसे बी0टी0/बी0एड के बाद एल0एल0बी0 करने लगे, इसके लिए पात्र नहीं होंगे।

(ज) चिकित्सा में स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ने वाले छात्र/छात्रा इसके पात्र होंगे, बशर्ते उनके अध्ययनकाल में उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गई हो।

(झ) ऐसे छात्र/छात्रा को जिन्होंने कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक पूर्व/स्नातकोत्तर परीक्षा अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त व्यावसायिक या तकनीकी प्रमाण पत्र डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी, बशर्ते ये अन्यथा रूप से इसके पात्र हों। उसके बाद ग्रुप 'क' के पाठ्यक्रमों को छोड़कर अनुत्तीर्ण होने की छूट नहीं दी जाएगी और तत्पश्चात् पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

(झ) ऐसे छात्र/छात्रा जो पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अध्ययन करते हैं वे अप्रतिदेय प्रशुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होंगे। पत्राचार में दूरवर्ती और अनुवर्ती शिक्षा शामिल है। ऐसे छात्र अप्रतिदेय शुल्क की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त आवश्यक विहित पुस्तकों के लिए 900 रुपए के वार्षिक भत्ते, जो देय हो, के लिए भी पात्र होंगे।

(ट) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र/छात्रा अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा नहीं लेगा। यदि कोई अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान की गई है तो छात्र/छात्रा दोनों छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी एक को, जो भी उसके लिये अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिए गए विकल्प के बारे में संस्था के प्रधान के माध्यम से प्रदानकर्ता प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(ठ) छात्र-छात्रा को उस तारीख से जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा। तथापि, छात्र/छात्रा राज्य सरकार से या किसी अन्य स्रोत से पुस्तकें, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गई छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ आर्थिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(ड) छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले किसी परीक्षा—पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग ले रहे हों, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के दौरान कोचिंग स्कीमों के तहत वजीफा के लिए पात्र नहीं होंगे।

### III. छात्रवृत्ति की राशि—

पाठ्यक्रम की पूरी अवधि के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि में अनुरक्षण भत्ता एवं शिक्षण शुल्क तथा अन्य अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क का भुगतान समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर किया जायेगा—

(i) राज्य सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति राशि का निम्नरूपेण भुगतान किया जायेगा :—

(क) राज्य के अंदर अवस्थित सभी सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को उक्त सरकारी शिक्षण संस्थान में निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर अनुमान्य किया जायेगा।

(ख) राज्य के अंदर अवस्थित मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में संचालित कोर्सों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अधिकतम सीमा रु0 15,000/- के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुसार निम्नवत् दिया जायेगा:-

Q23/03/2023

क्र.	कोर्स की विवरणी	छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क+अनिवार्य शुल्क या निम्ननिर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1	विभिन्न +2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इंटरमीडिएट कक्षा यथा—आई०ए०/आई०एस०सी०/आई०कॉम० एवं अन्य समकक्ष कोर्स	रु० 2000/-
2	स्नातक स्तरीय कक्षा यथा—बी०ए०/बी०एस०सी०/ बी०कॉम० एवं अन्य समकक्ष कोर्स	रु० 5000/-
3	स्नातकोत्तर कक्षा यथा—एम०ए०/एम०एस०सी०/एम०कॉम० एवं अन्य समकक्ष कोर्स	रु० 5000/-
4	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	रु० 5000/-
5	त्रिवर्षीय डिल्लोमा पाद्यक्रम/पॉलिटेक्निक एवं समकक्ष कोर्स	रु० 10000/-
6	व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स—इंजीनियरिंग/मेडिकल/विधि/प्रबंधन/ कृषि एवं अन्य समकक्ष कोर्स।	रु० 15000/-

(ग) राज्य के अंदर अवस्थित केन्द्रीय सरकारी संस्थानों तथा स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर निम्नरूपेण अनुमान्य किया जायेगा:—

क्र.	कोर्स की विवरणी (बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित संस्थान)	छात्रवृत्ति की राशि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय शिक्षण शुल्क+अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राशि, दोनों में जो न्यूनतम हो)
1	भारतीय प्रबंधन संस्थान(आई०आई०एम०), बोधगया	रु० 75000/-
2	अन्य प्रबंधन संस्थान यथा—चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, आदि	रु० 400000/-
3	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई०आई०टी०), पटना	रु० 200000/-
4	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एन०आई०टी०), पटना	रु० 125000/-
5	अन्य केन्द्रीय संस्थानों यथा—राष्ट्रीय फैशन टैक्नालोजी संस्थान (एन०आई०एफ०टी०), पटना, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए०आई०आई०एम०एस०), पटना, केन्द्रीय कृषि संस्थान आदि	रु० 100000/-
6	स्टेट एक्ट से गठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी	रु० 125000/-

(घ) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं की तुलना में सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी।

(ङ) उपर्युक्त के अतिरिक्त समय—समय पर अनुरक्षण भत्ता (Maintenance Allowance) एवं अन्य भत्ता नियमानुसार देय होगा।

(च) राज्य के बाहर अवस्थित केन्द्रीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राएँ बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) अनुरक्षण भत्ता तथा दृष्टिहीन छात्र/छात्राओं के लिए पाठक प्रभार संलग्न दिशा—निर्देश के अनुसार देय होगा।

(iii) योजना से संबंधित दिशा—निर्देश एवं संदर्भित विवरणी संलग्न है।

(परिशिष्ट-१)

#### IV. क्रियान्वयन एजेंसी एवं मूल्यांकन:-

योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार के माध्यम से किया जायेगा। क्रियान्वयन एजेंसी (शिक्षा विभाग, बिहार) के द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति राशि का भुगतान DBT के माध्यम से सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरण सुनिश्चित किया जायेगा।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार द्वारा इस योजना का मूल्यांकन किया जायेगा।

##### 8. बजट शीर्ष -

राज्य स्कौल माँग संख्या-11 के अंतर्गत आय-व्ययक मुख्य शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण लघु शीर्ष-277-शिक्षा, उप शीर्ष-0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-34-छात्रवृत्ति/वजीफा (0101-34-01-छात्रवृत्ति/वजीफा) विपत्र कोड-11- 2225032770101 के तहत भारित होगा।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-21.03.2023 में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

10. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

**आदेश:-**— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभाग/पदाधिकारी एवं कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करायी जाय।

बिहार के सञ्चयफाल के आदेश से

पंकज कुमार 23/03/2023

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / पो0मै0छा0-36-02 / 2020- 673 पटना, दिनांक— 23/03/2023

प्रतिलिपि— हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं रु10डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पंकज कुमार 23/03/2023

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / पो0मै0छा0-36-02 / 2020- 673 पटना, दिनांक— 23/03/2023

प्रतिलिपि— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पंकज कुमार 23/03/2023

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / पो0मै0छा0-36-02 / 2020- 673 पटना, दिनांक— 23/03/2023

प्रतिलिपि— मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त बिहार, सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण/ सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पंकज कुमार 23/03/2023

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि0व0 / पो0मै0छा0-36-02 / 2020- 673 पटना, दिनांक— 23/03/2023

प्रतिलिपि— विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद के बैठक के मद संख्या-16 दिनांक-21.03.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पंकज कुमार 23/03/2023

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि०व० / पो०मै०छा०—३६—०२/२०२०— ६७३

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— २३/०३/२०२३

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि०व० / पो०मै०छा०—३६—०२/२०२०— ६७३

प्रतिलिपि— निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— २३/०३/२०२३

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि०व० / पो०मै०छा०—३६—०२/२०२०— ६७३

प्रतिलिपि— माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/माननीया मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक— २३/०३/२०२३

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक— पि०व० / पो०मै०छा०—३६—०२/२०२०— ६७३

प्रतिलिपि— आई०टी०मैनेजर, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक— २३/०३/२०२३

प्रधान सचिव।

प्रधान सचिव।

## परिशिष्ट-1

बिहार सरकार  
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023

दिशा-निर्देश एवं संदर्भित विवरणी

(वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी)

**I. छात्रवृत्ति की राशि—**

योजनान्तर्गत राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी एवं मान्यताप्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत् पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की धनराशि में शिक्षण शुल्क तथा अन्य अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क की स्वीकृति के साथ अनुरक्षण भत्ता की स्वीकृति दी जायेगी, जिसका भुगतान समय-समय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित दर पर शिक्षा विभाग, बिहार के द्वारा किया जायेगा।

(i) अनुरक्षण भत्ता निम्नरूपेण देय होगा :—

पाठ्यक्रम (1)	अनुरक्षण भत्ते की दर (प्रतिमाह रूपए में)	
छात्रावास में रहने वाले (2)	दिवा छात्र (3)	
<b>समूह-क</b>	750	350
(i) चिकित्सा (एलोपेथी, भारतीय तथा अन्य मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धतियाँ), इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, योजना, वास्तुकला, डिजाइन, फैशन टेक्नॉलॉजी, कृषि, पशुपालन एवं संबद्ध विज्ञान, प्रबंधन, व्यावसायिक वित्त/प्रशासन, कम्प्यूटर विज्ञान/अप्लीकेशन्स में एम०फिल, पी०एचडी० और पोर्ट डॉक्टोरल अनुसंधान सहित डिग्री व स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम।		
(ii) प्रबंधन एवं चिकित्सा की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों।		
(iii) सी०ए० / आई०सी०डब्ल्यू०ए० / सी०एस० / आई०सी०एफ०ए० आदि।		
(iv) एम०फिल, पी०एचडी० और पोर्ट डॉक्टोरल कार्यक्रम (डी०लिट, डी०एससी० आदि)।		
(v) एल०एल०एम०		
<b>समूह-ख</b>	510	335
(i) फार्मसी (बी०फार्मा), नर्सिंग (बी०नर्सिंग), एलएलबी, बीएफएस, अन्य पैरामेडिकल शाखाओं जैसे पुनर्वास, निदान आदि, जन संचार, होटल प्रबंधन एवं केटरिंग, ट्रेवल/टूरिज्म/हास्पिटिलिटी प्रबंधन, आंतरिक सज्जा, न्यूट्रिशन एवं डाइटेटिक्स, कमर्शियल आर्ट, वित्त सेवाएं (यथा बैंकिंग, बीमा, कराधान आदि) जैसे डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र वाले स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिनके लिए न्यूनतम		

प्रवेश पात्रता उच्च माध्यमिक (10+2) है। (ii) एमए/एम०एस्सी०/एम०कॉम/एम०एड०/एम०फार्म आदि समूह 'क' के अंतर्गत शामिल न किए गए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम।		
समूह-ग समूह 'क' और 'ख' के अंतर्गत कवर न किए गए स्नातक डिग्री वाले सभी अन्य पाठ्यक्रम यथा बी०ए०/बी०एस्सी०/बी०कॉम आदि।	400	210
समूह-घ सभी मैट्रिकोत्तर स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम जिनके लिए प्रवेश पात्रता हाई-स्कूल(कक्षा x) है यथा वरिष्ठ माध्यमिक प्रमाण पत्र (कक्षा XI और XII), सामान्य तथा व्यवसायिक दोनों स्ट्रीम, आई०टी०आई० पाठ्यक्रम, पॉलीटेक्निक में तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि	260	160

\* राज्य के बाहर अवरिथत केन्द्रीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्र/छात्राएँ बिहार स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

(ii) दृष्टिहीन छात्र/छात्राओं के लिए पाठक प्रभार (दृष्टिहीन छात्र/छात्रा):-

दृष्टिहीन छात्र/छात्राओं के लिए पाठक प्रभार के रूप में अतिरिक्त राशि निम्नानुसार दी जाएगी:-

समूह	पाठक भत्ता (रु० प्रतिमाह)
समूह क, ख	175
समूह ग	130
समूह घ	90

(iii) भुगतान-

(क) अनुरक्षण भत्ता एक अप्रैल अथवा नामांकन के महीने, जो भी बाद में हो, से शैक्षणिक वर्ष के अंत में उस महीने तक जिसमें परीक्षाएं पूरी होती है (छुट्टियों के दौरान अनुरक्षण सहित) तक देय होंगे बशर्ते कि यदि विद्यार्थी किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामांकन करता है तो राशि नामांकन के महीने के बाद आने वाले महीने से दी जाएगी।

(ख) गत वर्ष दी गई छात्रवृत्तियां के नवीकरण के मामले में, अनुरक्षण भत्ता उस महीने के अगले महीने से दिया जाएगा, जिस महीने तक गत वर्ष भुगतान किया गया था, यदि पाठ्यक्रम जारी रहता है।

(ग) सभी विद्यार्थियों से स्वीकृत अनुरक्षण भत्ता में से आवश्यक पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी आदि की खरीद करने की अपेक्षा है। यदि, संबंधित संस्थान के प्रमुख द्वारा यह प्रतिवेदित किया जाता है कि विद्यार्थी के पास पाठ्यपुस्तक नहीं है तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी के विवेक से छात्रवृत्ति की राशि कम की जा सकती है।

(घ) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता/वजीफा पा रहे हैं तो एम०बी०बी०एस० पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाउस-मैनशिप के अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ङ) आवंटित निधि का 30 प्रतिशत छात्राओं के लिए और 5 प्रतिशत दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निर्धारित है।

(च) निधि की उपलब्धता के अध्यधीन, छात्रवृत्ति के वितरण में प्रथम वरीयता सरकारी संस्थानों के विद्यार्थियों को और तत्पश्चात् यह वितरण गैर-सहायता प्राप्त निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को किया जाएगा।

## II. छात्रवृत्ति की अवधि तथा छात्रवृत्तियों का नवीकरण—

(क) एक बार दी गई छात्रवृत्ति उसको दिए जाने की अवस्था से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक व्यवहार्य होगी बशर्ते कि छात्र/छात्रा का आचरण अच्छा रहे तथा उपस्थिति में नियमितता रहे परन्तु छात्रवृत्ति के लिए प्रत्येक वर्ष आवेदन करना होगा। यह छात्रवृत्ति वर्षानुवर्ष नवीकृत होगी यदि पाठ्यक्रम अनेक वर्षों तक सतत चलता रहता है, छात्र हर वर्ष उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में पहुंचता रहे, परीक्षाएँ भले ही विश्वविद्यालय द्वारा ली जाए अथवा संस्था द्वारा।

(ख) समूह "क" पाठ्यक्रम करने वाले पिछड़ा वर्ग अथवा अत्यंत पिछड़ा वर्ग का छात्र/छात्रा यदि पहली बार परीक्षा में असफल रहता है तो छात्रवृत्ति का नवीकरण किया जा सकता है। किसी भी कक्षा में दूसरी बार अथवा तत्पश्चात् असफल होने पर विद्यार्थी को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा जब तक वह अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत नहीं हो जाता।

(ग) यदि छात्र/छात्रा अस्वरुपता तथा/अथवा किसी अन्य अप्रत्याशित घटना के कारण परीक्षा में बैठने में असमर्थ रहता है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र तथा/अथवा/संस्था के प्रमुख की संतुष्टि के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा उसके द्वारा (संस्था के प्रमुख) यह प्रतिवेदित करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में बैठता तो वह उत्तीर्ण हो जाता, छात्रवृत्ति अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए नवीकृत की जाएगी।

(घ) यदि विश्वविद्यालय/संस्था के विनियमों के अनुसार एक छात्र/छात्रा को अगली उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाता है, चाहे वह निचली कक्षा में वास्तविक रूप में उत्तीर्ण न हुआ/हुई हो, तथा उसके द्वारा निचली कक्षा में कुछ समय पश्चात् दोबारा परीक्षा देना अपेक्षित हो, वह उस कक्षा में छात्रवृत्ति पाने का हकदार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोन्नत किया गया है, यदि वह विद्यार्थी अन्यथा छात्रवृत्ति के लिए पात्र हो।

## III. छात्रवृत्ति के लिए अन्य शर्तें —

(क) छात्रवृत्ति विद्यार्थी की संतोषजनक प्रगति और आचरण पर निर्भर है। यदि किसी संस्थान प्रमुख द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई विद्यार्थी स्वयं अपने आचरण अथवा चूक के कारण संतोषप्रद प्रगति करने में असफल रहा है अथवा दुर्व्यवहार जैसे हड्डताल करने या उसमें भाग लेने, संबंधित प्राधिकारियों की अनुमति बगैर उपस्थिति में अनियमितता आदि का दोषी पाया गया है तो छात्रवृत्ति स्वीकृत करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति रद्द कर सकता है अथवा रोक सकता या ऐसी अवधि, जो वे उचित समझे, तक के लिए छात्रवृत्ति का आगे का भुगतान रोक सकता है।

(ख) यदि यह पाया जाता है कि प्रत्याशी ने झूठी घोषणा से छात्रवृत्ति प्राप्त की है तो उसका/उसकी छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और संबंधित राज्य सरकार अपने विवेक से भुगतान की गई छात्रवृत्ति की राशि वसूल कर सकेगी। संबंधित छात्र/छात्रा को कालीसूची में सूचीबद्ध किया जाएगा और किसी भी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति से हमेशा के लिए वंचित कर दिया जाएगा।

(ग) प्रदत्त छात्रवृत्ति रद्द की जा सकती है यदि विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम का विषय बदल देता है जिसके लिए वह छात्रवृत्ति मूलतः दी गई थी अथवा छात्र/छात्रा राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन बगैर अध्ययन संस्था को बदल लेता है। संस्था प्रमुख ऐसे मामलों के बारे में छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को सूचित करेगा और ऐसी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान रोक देगा तथा राज्य सरकार के विवेक के अनुसार छात्रवृत्ति की राशि भी वसूल की जा सकती है।

(घ) छात्र/छात्रा द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान वह अध्ययन जिसके लिए छात्रवृत्ति दी गई है, छोड़ दिया जाता है तो राज्य सरकार के विवेक पर विद्यार्थी को छात्रवृत्ति की राशि वापस करनी होगी।

#### IV. क्रियान्वयन एजेंसी:-

योजना का क्रियान्वयन शिक्षा विभाग, बिहार के माध्यम से किया जायेगा। क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम के तहत छात्रवृत्ति भुगतान DBT के माध्यम से राशि को सीधे लाभुकों के बैंक खाता में हस्तांतरण सुनिश्चित किया जायेगा।

#### V. क्रियान्वयन की प्रक्रिया:-

##### (क) चयन:-

योजना हेतु निर्धारित पात्रता की शर्त के अध्यधीन, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्गों के पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करते हुए शिक्षा विभाग, बिहार के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएगी।

##### (ख) आवेदन की प्रक्रिया:-

आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन लेते हुए सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी।

##### (ग) आवेदन का सत्यापन एवं छात्रवृत्ति का भुगतान:-

आवेदन, आवेदन का सत्यापन एवं छात्रवृत्ति का भुगतान शिक्षा विभाग, बिहार के द्वारा विहित प्रक्रिया के तहत किया जायेगा।

##### (घ) अनुश्रवण:-

इस योजना के वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन का अनुश्रवण योजना की क्रियान्वयन एजेंसी शिक्षा विभाग, बिहार के माध्यम से की जाएगी। इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसी इस योजना के अंतर्गत वास्तविक प्रगति के बारे में तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। संबंधित एजेंसी द्वारा विगत वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये वास्तविक व्यय और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा। योजनान्तर्गत विभाग द्वारा स्वीकृत राशि का नियमानुसार व्यय करते हुए ससमय उपयोगिता क्रियान्वयन एजेंसी के द्वारा समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ङ) इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित किसी भी प्रावधान को विभागीय मंत्री के अनुमोदन से किसी भी समय परिवर्तित किए जा सकते हैं।

##### (च) स्कीम की घोषणा:-

क्रियान्वयन एजेंसी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना मई-जून में योजना के ब्यौरों की घोषणा करेंगे तथा राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों तथा अन्य प्रचार तंत्र में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगी।

#### VI. योजना हेतु राशि -

छात्रवृत्ति हेतु राशि का व्यय राज्य स्कीम के तहत किया जायेगा। योजना हेतु बजट उपबंध एवं उद्व्यय प्राप्त करने तथा प्रावधानित राशि शिक्षा विभाग, बिहार को उपलब्ध कराने की कार्रवाई पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार द्वारा की जायेगी।

\*\*\*\*\*

01,03,2023